

# नरोदा पाटिया मामले में चार दोषियों की जमानत मंजूर

नई दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में चार दोषियों की जमानत मंजूर कर ली है।

राज्य में 2002 में दंगों के दौरान हुए इस नरसंहार में 97 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाले पीठ ने चार दोषियों उमेशभाई सुराभाई भारवाड़, राजकुमार, पद्मेशसिंह जसवंतसिंह राजपूत और हर्षद उर्फ मुंगडा जिला गोविंद छाड़ा परमार की जमानत मंगलवार को मंजूर कर ली।

नरसंहार की यह घटना गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में हुए अग्निकांड के एक दिन बाद की है।

इस घटना में अमदाबाद के नरोदा पाटिया क्षेत्र में 28 फरवरी 2002 को भीड़ ने 97 लोगों की हत्या कर दी थी।

गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल 20 अप्रैल को इस मामले के 29 आरोपियों में से 12 को दोषी ठहराया था और भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोदानी सहित 17 अन्य को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने सभी 29 आरोपियों को दोषी ठहराया था।

## एन एचपीसी लिमिटेड

(CIN: L40101HR1975GOJ032564)  
पंजी.कार्या.: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)  
ई-मेल: companysecretary@nhpc.nic.in  
टेलीफोन नं.: 0129-2278018,  
वेबसाइट www.nhpcindia.com

### सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार सूचना दी जाती है कि एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिये नैर-अंकेषित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिकार्ड में लिया जायेगा।

उपरोक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाइट: [www.nhpcindia.com](http://www.nhpcindia.com) और शेयर बाजारों की वेबसाइट: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यवहार के लिए इन्साइडर्स ट्रेडिंग विडो शुक्रवार, 1 फरवरी, 2019 से रविवार, 10 फरवरी, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से  
हस्ता/-  
स्थान : फरीदाबाद (विजय गुप्ता)  
दिनांक: 21.01.2019 (कंपनी सचिव)

## AMRIT AGRO INDUSTRIES LIMITED

CIN: U01111UP1985PLC010776  
Regd. Office: CM-28, 1st Floor, Gagan Enclave, Amrit Nagar, G.T. Road, Ghaziabad - 201009 (U.P.)

Telephone No. 0120-2866880, Fax No. 0120-2866884  
E-mail: [info@amritagro.com](mailto:info@amritagro.com), Website: [www.amritagro.com](http://www.amritagro.com)

Notice is hereby given that following share certificate(s) issued by the Company are stated to be lost/misplaced/stolen and the registered holder(s)/legal heir(s) thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificate(s):

Folio No.	Name of the Shareholder(s)	Share Certificate No.(s)	Distinctive No.(s)	No. of Shares
771	Ram Krishan Goel	12650	1514094-1514193	100
788	Santosh	2276-2278 12652	226501-226800 1514294-1514393	400
3311	Devinder Pal Sood Urmil Sood	9180-9184	1168709-1169208	500

The Public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificate(s). Any person(s) who has/have any claim(s) with the Company in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim(s) at its Registered Office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company will not be responsible for any loss and the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s).

For Amrit Agro Industries Limited  
Sd/-  
Ghaziabad (UP) (Sanjay Kumar Das)  
January 23, 2019 Company Secretary

## SORIL

INFRA RESOURCES

### सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज लिमिटेड

(CIN: L52190HR2005PLC077960)

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 448-451, उद्योग विहार, फेज-V, गुरुग्राम-122016, हरियाणा  
फोन: 0124 6681199 फैक्स: 0124 6681111 ई-मेल: [helpdesk@indiabulls.com](mailto:helpdesk@indiabulls.com)  
वेबसाइट: [www.sorilinfraresources.com](http://www.sorilinfraresources.com)

### सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिसंबर 31, 2018 को समाप्त हुई तिमाही और नौमाही के लिए, सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज लिमिटेड (कंपनी) के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल को बैठक मंगलवार, जनवरी 29, 2019 को आयोजित की जाएगी।

कृपया अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट ([www.sorilinfraresources.com](http://www.sorilinfraresources.com)) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) या बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) पर संपर्क करें।

कृते सोरिल इन्फ्रा रिसोर्सेज लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : जनवरी 23, 2019

सही/-  
विकास खंडेलवाल  
कंपनी सचिव

Place: New Delhi

Date: 23/01/2019

Note:- Further details on the matters above Company's website <http://www.pciindia.com> (Information) and Stock Exchange website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).



काप  
सार्वजनिक

पीतमपुरा शाखा, वर्धमान चारों प्लाजा, प्लॉट नं. 22,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा

09.11.2018 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित : कर्जदार :

1. मैसर्स सुपरफाइन कलेक्शन, 1712 गली 110002  
2. श्री मयंक जैन, पता: 78 - ए दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110027  
3. श्री मोहम्मद जाकिर, मकान नं. 1708 गली गार्डनस:

1. प्रीति जैन पता 78-ए दिलशाद गार्डन, दिल्ली - 110027

विषय: कार्पोरेशन बैंक, पीतमपुरा शाखा, का नं. 560361000077163

उधारकर्ता (क्रमंक 1) ने दिनांक 31.12.2018 को रोड लैण्ड लाय उनहतर हजार मात्र) तथा आगे सहमत दर पर ब्याज, चुकाने में चूक के सुविधाएं दिनांक 26.12.2018 को एनपीए के तहत 09.11.2018 को अधिनियम के तहत सूचना बकाया राशि रु. 213.69 लाख चुकाने की प्रेषित की गई थी।

उधारकर्ताओं तथा गारंटर्स से रु. 213.69 लाख की तिथि तक ब्याज सहित, इस नोटिस की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, बैंक यहां संबंध में प्रतिभूति हित प्रवर्तन के तहत अप्रत्यक्ष अधिनियम की धारा 13(13) के निर्बन्धन पूर्व सहमति के बिना, उपरोक्त प्रत्याभूति आस्ति

जिन आस्तियों में प्रतिभूति हित सृजित की जा चुकी है।

बंधक सम्पत्ति खसरा नं. 410, सम्पत्ति ताहिरपुर, ब्लॉक नं. 6, दिलशाद गार्डन, दिल्ली

दृष्टिबंधक

स्टॉक और बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक

दिनांक : 23.01.2019, स्थान : नई दिल्ली



## कार्पोरेशन बैंक कब्जा सू

आंचलिक कार्यालय, आर.पी.जी. टॉवर, 495/1, मंगल

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 के अंतर्गत के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(02) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेंदा नोटिस प्राप्त के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारंटर्स के द्वारा इस राशि जनता को एवं ऋणी व गारंटर्स को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य के उपनियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके ऋणियों / गारंटर्स को विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण व का कोई सौदा / व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा / व्यवहार कार्पोरेशन बैंक को देय व सम्मुख उल्लेखित किया गया है के अध्याधीन होगा।

शाखा का नाम	ऋणी और जमानती के नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	कब्जा न की ता
कार्पोरेशन बैंक, पचपेडा शाखा, किला परीक्षितगढ़ रोड गांव पचपेडा, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)	मैसर्स रितु आभूषण केंद्र प्रोपराईटर सजय कुमार पता : मकान नम्बर 98, पचपेडा, मेरठ - 250406 (उत्तर प्रदेश)	सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अंतर्गत सम्पत्ति एक मकान है जो कि रजिस्टर्ड गिरवी क्षेत्रफल 70 वर्ग गज में है। यह सम्पत्ति गांव परपेरा, निकट कार्पोरेशन बैंक, परपेरा शाखा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सम्पत्ति की सीमायें :- पूरब - श्री राजेश का मकान, पश्चिम - श्री दक्षिण - रोड। सम्बन्धित सम्पत्ति के स्वामी श्री संजय पुत्र श्री धारा सरन निवासी	19.01.

दिनांक : 22.01.2019

स्थान : पचपेडा (मेरठ)

जनसंख्या दिल्ली 24/1/19